



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2542]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 25, 2016/कार्तिक 3, 1938

No. 2542]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 2016/KARTIKA 3, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2016

का.आ. 3288(अ).—केंद्रीय सरकार, बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम, 1988 (1988 का 45) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करती है कि धन शोधन अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकरण और उस अधिनियम की धारा 25 के अधीन गठित अपील अधिकरण 1 नवंबर, 2016 से बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम, 1988 (1988 का 45) के अधीन क्रमशः न्यायनिर्णयन प्राधिकरण और अपील अधिकरण के कृत्यों का तब तक निर्वहन करेंगे जब तक बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम, 1988 (1988 का 45) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकरणों का गठन नहीं कर दिया जाता है।

[अधिसूचना सं. 97/2016 फा. सं.149/144/2015-टीपीएल (भाग-2)]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधान)